

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अन्वेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

(6)

जयपुर, दिनांक : 26.04.2007

क्रमांक : एफ 15(90)म.क./सा.न्या.एव.अ.वि./07/22805

विधवा विवाह उपहार योजना नियम, 2007

वर्तमान पेंशन नियमों में हकदार विधवा महिला शादी करती है तो उसे शादी के मौके पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप राशि प्रदान करने हेतु निम्न प्रकार से नियम बनाये जाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रभाव क्षेत्र:

1. ये नियम पेंशन नियमों में हकदार विधवा महिला के विवाह करने पर उपहार योजना नियम, 2007 कहलायेंगे।
2. ये नियम सम्पूर्ण (राजस्थान) राज्य में 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी होंगे।
3. 1 अप्रैल 2007 अथवा इस के उपरान्त नियमों के अन्तर्गत पात्रता रखने वाली विधवा महिलाये उपहार राशि प्राप्त कर सकेंगी।

2. परिभाषाएं:

इन नियमों के जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हों,

1. "राज्य सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
2. "विभाग" से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान से है।
3. "निदेशक" (आयुक्त) से तात्पर्य निदेशक (आयुक्त) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर से है।
4. "जिला अधिकारी" से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलों में पदस्थापित उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी से है।
5. "स्वीकृति अधिकारी" से तात्पर्य जिलों में पदस्थापित यथा उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी से है।
6. "कोषाधिकारी" / "उपकोष प्रभारी" से तात्पर्य कोषागार के प्रभारी अधिकारी से है जिनके हस्ताक्षर से राज्य सरकार के भुगतान सम्बंधी बिल पास किये

जाते हैं।

7. "विधवा" से तात्पर्य ऐसी महिला से है जिसके विवाह उपरान्त उसके पति का देहान्त हो गया हो और वह वेधव्य जीवन व्यतीत कर रही हो एवं उसने पुर्नविवाह नहीं किया हो।

3. पात्रता :-

1. आवेदक विधवा हो तथा वेधव्यता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हो।
2. इन नियमों के लागू होने से पूर्व उसने पुर्नविवाह नहीं किया हो।
3. विधवा की आयु 18 वर्ष से कम व 50 वर्ष से अधिक न हो।
4. राजस्थान राज्य की मूल निवास हो अथवा पुर्नविवाह करने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि से वह राजस्थान राज्य में रह रही हो।
5. विधवा पेंशन नियमों के अन्तर्गत विधवा पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखती हो। (इसमें उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य बीस वर्ष या उससे अधिक आयु का न होने व आय सम्बन्धी पेंशन की पात्रता शर्तें शामिल हैं।)

4. उपहार राशि एवं बजट प्रावधान:-

1. विधवा की शादी पर पन्द्रह हजार रुपये की उपहार राशि देय होगी।
2. स्वीकृत उपहार राशि जिला अधिकारी द्वारा अहरित कर चैक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा आवेदिका को प्रदान की जायेगी।
3. जिला अधिकारी द्वारा प्रदान की गई उपहार राशि का विवरण (स्वीकृति) प्रतिमाह निदेशालय को भिजवाया जायेगा।
4. निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला अधिकारी को आवश्यक बजट का आवंटन किया जायेगा।

5. आवेदन प्रस्तुत करने और उपहार राशि स्वीकृत करने की प्रक्रिया :-

1. उपहार राशि प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र "उपहार-क" में आवेदन पत्र विवाह के एक माह बाद तक सम्बन्धित जिले के जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी को जमा कराना होगा।
2. आवेदन फार्म जिला कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा सादे कागज पर किया जा सकता है।
3. विहित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिला अधिकारी आवेदन का इन्द्राज कार्यालय के रजिस्टर में किया जाकर आवेदन की जांच करायेगा।
4. आवेदन की जांच एक सप्ताह में छात्रावास अधीक्षक से कराई जायेगी।

5. जांच में जांचकर्ता आवेदिका की आयु, पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र, निवास स्थान आय के साधन (समस्त श्रोतों से आय), आजीविका के सामान, परिवार (कुटुम्ब) के सदस्यों के विस्तृत ब्योरे (रेशन कार्ड आदि) का सत्यापन करेगा।
6. ब्योरे के सत्यापन हेतु स्कूल प्रमाण पत्र, नगर पालिका/नगर परिषद/ग्राम पंचायत द्वारा संचालित जन्म पंजीकरण रजिस्टर, विधानसभा की नवीनतम मतदाता नामावली जिसमें आवेदिका का नाम हो या उपखण्ड अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा दिया गया आयु व आय प्रमाण पत्र अथवा सरकारी अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा जारी किया गया आयु प्रमाण पत्र।
7. विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं के लिये पी.पी.ओ. की प्रमाणित प्रति तथा पुनर्विवाह के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ही पर्याप्त होगी। ऐसे मामले में केवल आवेदन तिथि तक पेंशन प्राप्त करने व विवाह सम्बन्धी जांच पर्याप्त होगी। बिन्दु 5 व 6 के प्रमाण पत्रों की जांच आवश्यक नहीं है।

6. स्वीकृत कर्ता अधिकारी :-

1. जिले के जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी जांच में पात्र पाई गई आवेदिका को देय उपहार राशि 15,000 (पन्द्रह हजार) के भुगतान की व्यवस्था बैंक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सम्बन्धित कोषाधिकारी के माध्यम से बजट मद 2235-60-102(01)-[05] से आवेदिका को 15 दिवस में भुगतान करेंगे।
2. अपात्र/अस्वीकृत आवेदनों का इन्द्राज सम्बन्धित रजिस्टर में अस्वीकृत किये जाने के कारण अंकित करेंगे।

7. नियमों के संशोधन/शिथिलता :-


इन नियमों में किसी प्रकार के संशोधन/शिथिलता राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं की जायेगी। नियमों के सम्बन्ध में निदेशक/आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दी गई व्याख्या ही अंतिम मानी जायेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक/आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

ये नियम वित्त विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 133 दिनांक 24.4.07 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रसारित किए जाते हैं।

Amrull
आयुक्त
26.4.07

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
2. महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
5. प्रमुख शासन सचिव वित्त एवं आयोजना विभाग राजस्थान जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव सामाजिक सुरक्षा एवं आयुक्त निश्चल जन राजस्थान जयपुर।
8. सचिव आयोजना विभाग जयपुर।
9. उप सचिव, वित्त (नियम)/वित्त (व्यय 2) विभाग जयपुर।
10. जिला कलेक्टर
11. कोषाधिकारी कोष कार्यालय
12. मुख्य लेखाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
13. परियोजना अधिकारी, (एस.सी.पी.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
14. उप निदेशक (एस.सी.पी.) प्लान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
15. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
16. निदेशालय के समस्त अधिकारी/प्रशाखायें।
17. रक्षित पत्रावली।


आयुक्त
26-4-07

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, बी -3/1, राजमहल ऐजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक:- एफ 15 () सा/म.क./सान्याअवि/16-17/

30210

जयपुर दिनांक :

11/05/2016

आदेश

बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के बिन्दु संख्या 109.0.0 की अनुपालना में विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(90) म.क./ सान्याअवि/07/ 22805 दिनांक 26.04.2007 द्वारा जारी विधवा विवाह उपहार योजना नियम 2007 के बिन्दु संख्या 4(1) उपहार राशि एवं बजट प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
विधवा की शादी पर पन्द्रह हजार रुपये की उपहार राशि देय होगी।	विधवा की शादी पर तीस हजार रुपये की उपहार राशि देय होगी।

उपहार राशि हेतु आवेदन व स्वीकृति की प्रक्रिया की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

यह आदेश वित्त (व्यय -2) विभाग की आई. डी. संख्या 161600515 दिनांक 18.04.2016 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

M 10-5-16
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 15 () सा.सु./म.क./सान्याअवि/16-17/


30211-355

जयपुर दिनांक :

11/05/2016

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. सचिव द्वितीय, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
12. समस्त कोषाधिकारी कोषकार्यालय
13. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।
14. एनालिस्ट -कम प्रोग्रामर, मुख्यावास पर वेबसाइट अपडेट करने बाबत।
15. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क मुख्यावास को वास्ते उचित प्रचार प्रसार।
16. आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, बी -3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक:- एफ 15 () सा/म.क./सान्यअवि/19-20/

जयपुर दिनांक :

44291
आदेश

30/07/2019


विधवा विवाह उपहार योजनान्तर्गत विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(90) म.क./ सान्याअवि/07/ 22805 दिनांक 26.04.2007 द्वारा जारी विधवा विवाह उपहार योजना नियम 2007 के बिन्दु संख्या 4(1) उपहार राशि एवं बजट प्रावधान तथा विभागीय संमसंख्यक आदेश क्रमांक 30210 दिनांक 11.05.2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
विधवा की शादी पर 30,000/- (तीस हजार) रुपये की उपहार राशि देय होगी।	विधवा की शादी पर 51,000/- (इक्यावन हजार) रुपये की उपहार राशि देय होगी।

उपहार राशि हेतु आवेदन व स्वीकृति की प्रक्रिया की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

यह आदेश वित्त (व्यय -2) विभाग की आई. डी. संख्या 161900687 दिनांक 19.07.2019 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।


(सांवर मल वर्मा) 4
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 15 () सा.सु./म.क./सान्यअवि/19-20/


जयपुर दिनांक :

44292-438

30/07/2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
12. समस्त कोषाधिकारी कोषकार्यालय
13. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।
14. एनालिस्ट -कम प्रोग्रामर, मुख्यावास पर वेबसाइट अपडेट करने बाबत।
15. उपनिदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क मुख्यावास को वास्ते उचित प्रचार प्रसार।
16. आदेश पत्रावली।


(रंजिता गौतम)
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

16. प्रस्तावित वर का विवरण, जिससे आवेदिका विवाह करना चाहती है :-

नाम	पिता का नाम	पूरा पता	जन्म तिथि	शिक्षा	व्यवसाय

17. प्रस्तावित वर क्या पूर्व में विवाहित रहा है ? हाँ/नहीं

18. यदि हाँ, तो पूर्व पत्नी व संतानों का विवरण :-

नाम	जन्म तिथि	वर से सम्बन्ध	शिक्षा	व्यवसाय	वर्तमान स्थिति

19. विवाह तिथि (विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

20. आवेदन की तिथि

(हस्ताक्षर आवेदिका)

दिनांक :

स्थान :

(आवेदक का शपथ पत्र)

(शपथ पत्र 10/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो)

मैं श्री/श्रीमति... .. पुत्र/धर्मपत्नि श्री

निवासी

... .. ईश्वर को साक्षी मानकर शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित सभी कथन सत्य है, कोई भी तथ्य असत्य नहीं है। यदि किसी भी चरण पर कोई तथ्य गलत या असत्य पाया जाता है, तो विभाग द्वारा स्वीकृत राशि जमा कराने के लिए बचनबद्ध हूँ तथा ऐसे कृत्य के लिए विभाग मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगा।

हस्ताक्षर आवेदक :

दिनांक :

स्थान

कार्यालय उपयोग हेतु
(स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति पत्र)

प्राप्त सिफारिश के आधार पर श्रीमती धर्मपति
स्व. श्री निवासी
..... का पुनर्विवाह दिनांक को
श्री निवासी
के साथ किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा देय उपहार राशि रुपये 15000/- स्वीकृत की जाती है।

(भुगतान रसीद)

मैंने (श्रीमती) श्री
निवासी से पुनर्विवाह पर राज्य सरकार
द्वारा देय उपहार राशि रुपये 15000/- का बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट संख्या
दिनांक को प्राप्त किया।

हस्ताक्षर आवेदिका

13. क्या परिवार चयनित परिवारों की सूची में सम्मिलित है (हाँ/नहीं)-----

14. यदि हाँ तो नम्बर अंकित करें (कार्ड की प्रमाणित प्रति सलग्न करें)-----

15. प्रस्तावित वर / वरों का विवरण-

नाम	पिता का नाम	पूर्ण पता	जन्म तिथि	शिक्षा	व्यवसाय

16. प्रस्तावित विवाह तिथि

17. आवेदन की तिथि

हस्ताक्षर आर्बेदिका

मय पूर्ण पता